

राजस्थान सरकार
कार्यालय मुख्य चिकित्सा एवं स्वास्थ्य अधिकारी, बीकानेर

क्रमांक : - 12418

दिनांक : - 1/11/2022


विज्ञापित

श्रीमान संयुक्त शासन सचिव, चिकित्सा एवं स्वास्थ्य विभाग, राजस्थान जयपुर के पत्रांक प.14(1)चिरवा/मुप-2/2022 जयपुर, दिनांक 05.04.2022 एवं 12.05.2022 के द्वारा दिए गये निर्देशों में इस कार्यालय के अधीन एवं प्रधानाचार्य, सरदार पटेल मेडिकल कॉलेज, बीकानेर नर्सिंग ऑफिसर के स्पष्ट रिक्त पदों तक की सीमा तक आवश्यकता के अनुसार वर्तमान वित्तीय वर्ष 2022-23 अथवा रिक्त पदों पर नियमित कार्गिक उपलब्ध होने तक, जो भी पहले हो तक निर्धारित स्वीकृत दर पर राजस्थान चिकित्सा सेवा नियम 1963 एवं राजस्थान अधिनस्थ चिकित्सा सेवा नियम, 1965 एवं राजस्थान सेवा नियमों के प्रावधानानुसार अस्थाई आधार (युटीवी) पर जिला स्वास्थ्य कमेटी के माध्यम से विभाग द्वारा जारी आदेश दिनांक 04.10.2014 एवं 09.11.2017 एवं युटीवी के संबंध में निम्नानुसार निर्धारित शर्तों के अध्याधीन स्वीकृति प्रदान की गई है। युटीवी आधार पर नर्सिंग ऑफिसर के पद हेतु निर्धारित योग्यता रखने वाले इच्छुक अभ्यर्थियों से दिनांक 03.11.2022 प्रातः 11.00 बजे से 08.11.2022 सांय 5.00 बजे तक जिले की अधिकृत वेबसाईट <http://zilabikaner.in/onlineform/> पर ऑनलाईन आवेदन आमंत्रित किए जाते हैं। इन पदों हेतु ऑफलाईन आवेदन स्वीकार नहीं किये जायेंगे।

क सं.	पदनाम	कुल पद/मानेदय	न्यूनतम योग्यता
1	नर्सिंग ऑफिसर	पद-185 मानदेय- पूर्व निर्धारित दर अनुसार	1. Senior Secondary or its equivalent 2. GNM Course or its equivalent Qualification from institute recognised by Government 3. Registration in RNC

नोट :- उक्त भर्ती निम्नानुसार शर्तों के अनुसार की जाएगी।

- 1-यूटीवी आधार पर नर्सिंगकर्मी को एनएचएम द्वारा पूर्व निर्धारित दर पर मानदेय देय होगा।
- 2-इस संबंध में वित्त विभाग द्वारा जारी समय समय पर नियमों/आदेशों/परिपत्रों आदि की पूर्ण पालना सुनिश्चित की जायेगी।
- 3-यूटीवी आधार पर उक्त पदों को भरे जाने के संबंध में राजस्थान चिकित्सा एवं स्वास्थ्य सेवा नियम 1963 राजस्थान अधिनस्थ चिकित्सा सेवा नियम 1965 तथा समय समय पर संशोधित नियम तथा अन्य भर्ती नियमों के साथ उपरोक्त उपलब्ध रिक्तियों को आधार मानते हुए आरक्षण के नियमों की पालना सुनिश्चित की जायेगी।
- 4-नर्सिंग ऑफिसर के लिये शैक्षणिक योग्यता का प्रतिशत + तकनीकी योग्यता के प्रशिक्षण के आधार पर मेरिट बनाकर चयन किया जायेगा।
- 5-चयन सूची में स्थानीय अभ्यर्थियों को वरियता दी जायेगी।
- 6-कोविड काल में कोविड 19 से संक्रमित मरीजों की चिकित्सा सुश्रूषा करने वाले आवश्यक अस्थाई आधार पर नियोजित कर्मचारियों को प्रथम वरियता प्रदान की जायेगी।


मुख्य चिकित्सा एवं स्वास्थ्य अधिकारी
बीकानेर